पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 92/2017

अनवान :

जयसिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. हीरालाल } पि0 चूनीराम जाति जाट सा0 मलसीसर
2. सोहनलाल } तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री योगेश शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम मलसीसर के खाता सं0 88/88 के खसरा सं0 676 में प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के नाम दर्ज 0.127 है0 में से प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के बजाय वादी जयसिंह खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 का नाम कलमजन कर वादी जयसिंह को 0.127 है0 कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30-10-17 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 92/2017

अनवान :

जयसिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. हीरालाल } पि0 चूनीराम जाति जाट सा0 मलसीसर
2. सोहनलाल } तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्तकारी अधि0 व 136 राज0लैण्ड0रेवेन्यु एक्ट

उपस्थिति : वकील श्री योगेश शर्मा : **वादी**

निर्णय दिनांक :

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मलसीसर के खाता सं0 274/276 के खसरा सं0 645 की 4.0220 है0 में 3.713 है0 कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड थी, जमाबन्दी संलग्न वाद है।

वादी ने अपने नाम दर्ज उपरोक्त खसरा सं0 645 में से प्रतिवादी सं0 1 व 2 को 0.127 है0 कृषि भूमि बेचान कर दी तथा जिसका नामान्तरण प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में हो गया।

वादी के नाम से ग्राम मलसीसर के खाता सं0 88/87 के खसरा सं0 676 की 4.7420 है0 कृषि भूमि भी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी ने खसरा सं0 645 में से प्रतिवादी सं0 1 व 2 को 0.127 है0 कृषि भूमि बेचान कर दी थी और उसका नामान्तरण भी पटवारी हल्का ने सहबन से फिर से खसरा सं0 676 में भी दर्ज कर दिया, अर्थात् प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में नामान्तरण मात्र खसरा सं0 645 में होना चाहिए था।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं0 3 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के नाम दोनों खसरों 676 व 645 में 0.127 — 0.127 है0 कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत बैयनामा के अनुसार खाता सं0 87/80 के खसरा सं0 645 में से 0.127 है0 कृषि भूमि ही प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 को बैय की गई थी इस बाबत प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 ने प्रस्तुत राजीनामा में स्पष्ट किया है कि हम प्रतिवादीगण सं0. 1 व 2 ने वादी जयसिंह से खसरा सं0 645 में से 0.127 है0 कृषि भूमि जरिये विक्रयपत्र खरीद की थी, लेकिन उक्त खरीद की गई 0.127 है0 कृषि भूमि का नामान्तरण खसरा सं0 645 के साथ साथ खसरा सं0 676 में भी कर दिया इसलिए खसरा सं0 676 में से हम प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 का नाम कलमजन किया जाकर उक्त 0.127 है0 का वादी जयसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित है। हम प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 ने खसरा सं0 676 में से कभी कोई कृषि भूमि खरीद नहीं की है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम मलसीसर के खाता सं0 88/88 के खसरा सं0 676 में प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के नाम दर्ज 0.127 है0 में से प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के बजाय वादी जयसिंह खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 का नाम कलमजन कर वादी जयसिंह को 0.127 है0 कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30-10-17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़